

पत्रावली पेश करने का प्रारंभिक कार्य बनाम सीता देवी एवं अन्य

किस्म मुकदमा द्वारा 218 RFA मु0.न0 138 सन् 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामिल में हुआ
7/12/16	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 218 RFA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 15/1/17 को पेश हो।</p>	
18/1/17	<p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 218 RFA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 15/1/17 को पेश हो।</p>	
26/1/17	<p>पत्रावली आज पेश हुई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 में निस्तारण किये जाने हेतु उभय पक्षों को नोटिस लोक अदालत। केम्प कोर्ट में उपस्थित होने बायत जारी किया जाकर पत्रावली अदालत सेवा क्रेन्द ग्राम पंचायत दिनांक 26/1/17 को पेश हो।</p>	
5/6/17	<p>पत्रावली बजास्य लेके अदालत अदालत सेवा क्रेन्द ग्राम पंचायत पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 218 RFA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 5/6/17 को पेश हो।</p>	<p>Not processed          लेठवा</p>

की जाती है एक बारमा परापली  
निर्भित कुमार केपर गम्बर सेकरी  
सिबिय सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी  
बलपुर (भीलवाड़ा)